एफ सं. ओआई-11012/14/2012-ईपी-1

भारत सरकार

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

(उत्प्रवास नीति प्रभाग)

******

**विषय: विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में संशोधित भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) स्कीम**

**1. भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ)**

1.1 भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना मंत्रिमंडल द्वारा उनके दिनांक 12 अक्तूबर, 2009 के संस्वीकृत पत्र सं. ओआई-11012/25/2007-यूएस (ईपी) में दिए गए अनुमोदन के माध्यम से 17 उत्प्रवास मंजूरी अपेक्षित (ईसीआर) देशों और मालदीव में भारतीय मिशनों में की गई थी जिसका उद्देश्य निस्सहाय प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए मौके पर ही विभिन्न कल्याण क्रियाकलाप संचालित करने के लिए उनके द्वारा उपगत किए गए आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति करना था। इस स्कीम का विस्तार दिनांक 30 अप्रैल, 2010 के संस्वीकृति पत्र सं. ओआई-11012/25/2007-यूएस (ईपी) द्वारा 24 भारतीय मिशनों में किया गया था। इस स्कीम का आगे और विस्तार संस्वीकृति पत्र सं. ओआई - 11012/25/2007 - यूएस (ईपी-I) (भाग-II) दिनांक 24.03.2011 द्वारा समूचे विश्व के शेष 157 देशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों तक भी कर दिया गया था। इसके उपरांत, मंत्रालय को मिशनों से विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं कि इस स्कीम की व्याप्ति में भी विस्तार किया जाए। तदनुसार, विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस स्कीम को आशोधित किया गया है। आशोधित आईसीडब्ल्यूएफ स्कीम की निम्निलिखित विशेषताएं हैं:

1.2 **स्कीम का उद्देश्य**

भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) का उद्देश्य सर्वाधिक पात्र मामलों में उपाय-परीक्षित आधार पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना है:

(i) कुटुम्ब/घरेलू क्षेत्रों में कार्यरत निस्सहाय प्रवासी भारतीय कर्मकारों तथा अकुशल श्रमिकों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था।

(ii) जरूरतमंद प्रवासी भारतीयों को आपातकालीन चिकित्सा देखरेख प्रदान करना।

(iii) जरूरतमंद तथा संकट में फंसे प्रवासी भारतीयों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना।

(iv) पात्र मामलों में प्रवासी भारतीयों को प्रारंभिक विधिक सहायता उपलब्ध कराना।

(v) ऐसे मामलों में, जहां प्रायोजक संविदा के अनुसार व्यय करने में असमर्थ अथवा अनिच्छुक है तथा परिवार व्यय कर पाने में समर्थ नहीं है, आकस्मिकताओं पर और मृतक प्रवासी भारतीय

के अस्थियां विमान द्वारा भारत भेजने अथवा उसके वहीं पर दाह संस्कार/अंतिम संस्कार करने पर हुए व्यय की पूर्ति करना।

(vi) ऐसे मामलों में, जहां कर्मकार प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है, मेजबान देश में अवैध प्रवास के लिए भारतीय राष्ट्रिकों के संबंध में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था करना;

(vii) भारतीय राष्ट्रिकों की जेल/बंदी गृहों से रिहाई के लिए अल्प जुर्मानों/शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था करना;

(viii) ऐसे देशों में, जहां प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या 1,00,000 से अधिक है, प्रवासी भारतीय समुदाय केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानीय प्रवासी भारतीय संघों को सहायता प्रदान करना; और

(ix) ऐसे देशों में, जहां 20,000 से अधिक भारतीय छात्र विद्यमान है, प्रवासी भारतीय समुदाय-आधारित छात्र कल्याण केन्द्रों को आरंभ करने और उन्हें संचालित करने के लिए सहायता प्रदान करना।

1.3 **लक्ष्यित लाभार्थी**

मेजबान देशों में धोखेबाज दलालों द्वारा ठगे जाने पर प्रवासी भारतीय कर्मकार, घर से भागी हुई घरेलू नौकरियां, दुर्घटनाओं का शिकार हुए श्रमिक, प्रवासी भारतीयों की अलग हुई पत्नियां/पति अथवा आपातकालीन सहायता की आवश्यकताओं में घिरे अप्रलेखित प्रवासी भारतीय कर्मकार अथवा कोई अन्य प्रवासी भारतीय नागरिक जो निस्सहाय है, इस निधि के प्रमुख लाभार्थी हैं। इस निधि का उपयोग संबंधित मिशनों के प्रमुखों की सिफारिश पर उपाय परीक्षित आधार पर प्रवासी भारतीय नागरिकों की अस्थियां विमान से भारत भेजने पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। इसका आशय बंदी गृहों से प्रवासी भारतीय राष्ट्रिकों को रिहा कराना तथा प्रवासी भारतीय समुदाय केन्द्रों और छात्र कल्याण केन्द्रों को सहायता प्रदान करना भी है।

2. **वित्त-पोषण का स्रोत**

मिशनों में स्थापित की गई भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) के वित्त-पोषण के स्रोत निम्नलिखित होंगे:-

I. परामर्श सेवाओं पर सेवा प्रभार के उद्ग्रहण द्वारा भारतीय मिशन द्वारा निम्नानुसार जुटाई गई निधियां:

(i) पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई और पीआईओ कार्डों के लिए - 100/- रुपए प्रति दस्तावेज जिसे स्थानीय मुद्रा में पूर्णांकित किया जाएगा।

(ii) नियोजन दस्तावेज के सत्यापन के लिए - 100/- रुपए प्रति कर्मकार, जिसे स्थानीय मुद्रा में पूर्णांकित किया जाएगा।

(iii) दस्तावेजों का सत्यापन तथा मिशन द्वारा प्रदान की जा रही अन्य विविध परामर्शी सेवाएं (मृत्यु होने के मामलों को छोड़कर) - 100/- रुपए प्रति कर्मकार, जिसे स्थानीय मुद्रा में पूर्णांकित किया जाएगा। इस मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय से परामर्श करते हुए सेवा प्रभार की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

II. **भारतीय समुदाय द्वारा स्वैच्छिक योगदान**

मिशन भारतीय समुदाय से प्राप्त योगदानों के लिए समुचित रसीद जारी करेगा तथा उसमें ऐसे अंशदाता के नाम और पते का उल्लेख भी करेगा।

III. **भारत सरकार, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) से बजटीय सहायता**

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय 157 भारतीय मिशनों में आईसीडब्ल्यूएफ की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की बजटीय सहायता उपलब्ध कराएगा। एमओआईए का योगदान प्रारंभ में तीन (3) वर्ष के लिए अथवा उस अवधि के लिए होगा जब तक कि यह निधि स्व-संपोषित नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पूर्व हो। यह राशि प्रतिवर्ष जारी की जाएगी तथा यह मिशन के वित्तीय संसाधनों में घाटे की कमी को पूरा करने तक ही सीमित होगी, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान जारी की गई राशि के उपयोग पर भी सम्यक ध्यान दिया जाएगा।

**3. आईसीडब्ल्यू का प्रशासन**

3.1 मिशन प्रमुख निधि के प्रशासन के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे जिसमें निधि की आवधिक समीक्षा करने के लिए श्रम, परामर्शी, समुदाय कल्याण अथवा प्रशासन संबंधी मामलों को देखने वाले अधिकारी शामिल होंगे।

3.2 **निधि का प्रचालन**

निधि का प्रचालन निम्न प्रकार से होगा:

(i) प्रधान प्रमुख लेखा नियंत्रक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ निधि के प्रचालन के लिए सीजीए से परामर्श करते हुए लेखाकरण पद्धतियों को तैयार करेगा तथा मंत्रालय और मिशनों को कार्यरीतियां सूचित करेगा।

(ii) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक मिशन में एक पृथक निजी निक्षेप खाता खोला जाएगा जिसका नाम 'आईसी-डब्ल्यूएफ खाता' होगा, जैसा कि सिविल लेखा नियमावली में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) कुछ मिशनों में प्रचालित विद्यमान कल्याण निधि का विलय प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा विद्यमान निधि की निष्पादन लेखापरीक्षा किए जाने के उपरांत नए आईसीडब्ल्यूएफ में किया जाएगा।

(iv) अधिभारों का दैनिक संग्रहण लेखापाल द्वारा आगामी कार्यदिवस को बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा।

(v) इस प्रयोजनार्थ एक पृथक रोकड़ बही अनुरक्षित की जाएगी जिसमें समस्त प्राप्तियों और आहरणों को दर्ज किया जाएगा। यह प्रक्रिया रोकड़ और लेखा की विद्यमान प्रक्रिया के अंतर्गत पहले से ही अनुरक्षित जारी रोकड़ बही की तर्ज पर होगी।

(vi) उपयुक्त स्तर अर्थात् हैड ऑफ चांसेरी (एचओसी) का पृथक आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) पीडीए को संचालित करेगा तथा वह एक अन्य हस्ताक्षरकर्ता, जिसका निर्णय एचओएम द्वारा लिया जाएगा, के साथ निधि के समस्त संव्यवहारों के लिए उत्तरदायी होगा।

(vii) निधि से व्यय/आहरण से पूर्व मिशन प्रमुख के अनुमोदन के अध्यधीन मामला-दर-मामला आधार पर परामर्शी और श्रम स्कंधों के प्रभारी अधिकारी की सिफारिश प्राप्त की जाएगी।

***(viii) प्रत्येक छह माह पर मिशन द्वारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को निधि में संग्रहण और उसके उपयोग का एक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।***

### 3.3 अग्रदाय

मिशन प्रमुख डीडीओ अथवा मिशन में श्रम स्कंध से किसी अधिकारी, जिसका निर्णय एचओएम द्वारा किया जाएगा, के अंतर्गत अग्रदाय की राशि के रूप में प्रदान की जाने वाली एक समुचित अग्रिम राशि का निर्णय लेगा। अग्रदाय अग्रिम रजिस्टर में अग्रदाय के व्यय का एक पृथक खाता अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें व्यय के विवरणों, समय-समय पर प्राप्त की गई अग्रिम की राशि आदि के विवरणों को दर्शाया जाएगा। संवितरण के फलस्वरूप व्यय के समस्त प्रासंगिक विवरणों के साथ रजिस्टर एचओएम की आवधिक संवीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें संवीक्षा की अवधि का निर्णय एचओएम द्वारा लिया जाएगा जो एक समय में तीन माह से अधिक नहीं होगी।

### 3.4 निधि की लेखापरीक्षा

निधि की लेखापरीक्षा निम्न प्रकार से की जाएगी:

(i) निधि से सहयोजित अधिकारियों के अलावा दो राजपत्रित अधिकारियों से मिलकर बने दल द्वारा निधि छमाही निरीक्षण किया जाएगा।

(ii) निरीक्षण दल सीधे एचओएम को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iii) मिशन निधि में से उपगत किए गए व्यय का एक विस्तृत लेखा तैयार करेगा तथा इसे वार्षिक आधार पर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के अवलोकनार्थ प्रेषित करेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, मिशन मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र अग्रेषित करेगा।

(iv) आईसीडब्ल्यूएफ की लेखापरीक्षा सीएंड एजी द्वारा की जाएगी (छमाही समीक्षा संचालित की जा सकती है तथा पश्चातवर्ती वर्ष के लिए निधियों को जारी किया जाना इस समीक्षा की रिपोर्ट पर आधारित होगा)। प्रधान सीसीए सामान्य नियंत्रणों का प्रयोग करेगा जैसा कि विद्यमान लेखाकरण प्रक्रियाओं के अंतर्गत परिकल्पित है।

3.5 **संवितरण**

निधि से संवितरण के लिए प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

(i) मिशन प्रमुख मामला-दर-मामला आधार पर मामले की परिस्थितियों की गंभीरता अथवा संवेदनशीलता के अनुसार, लिखित अथवा मौखिक, अनुरोधों पर विचार करेगा।

(ii) श्रम स्कंध का प्रभारी अधिकारी अथवा एनओएम द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित अधिकारी मामले की जांच करेगा तथा मामले को अपनी टिप्पणी के साथ मिशन प्रमुख के पास अनुमोदन के लिए भेजेगा।

(iii) प्रति व्यक्ति आवास व्ययों के लिए सहायता ऐसी सीमा तक नियत की जाएगी जो मिशन प्रमुख द्वारा अनुमोदित की जाए तथा यह अधिकतम 30 दिन के अध्यधीन होगी।

**(iv) अवैध प्रवास के मामलों के लिए शास्तियों का संदाय प्रति मामला अधिकतम 1000 यूएस डॉलर तक सीमित होगा जब मिशन प्रमुख इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रिक ने जानबूझकर कोई त्रुटि नहीं की है।**

**(v) जेल/बंदी गृहों में रखे गए भारतीय राष्ट्रिकों के मामले में, छोटे जुर्माने/शास्ति का भुगतान प्रति मामला अधिकतम 2500 यूएसडी होगा, जब मिशन प्रमुख की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसे भुगतान किए जाने के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रिक की रिहाई हो जाएगी।**

**(vi) उपर्युक्त (iv) और (v) के लिए, मिशन प्रमुख की संतुष्टि के कारणों को पोस्ट/मिशन की फाइल पर संक्षेप मे दर्ज किया जाएगा।**

**(vii) प्रवासी भारतीय समुदाय केन्द्रों तथा छात्र कल्याण केन्द्रों के लिए वितरण दिशा-निर्देश अलग से परिचालित किए जाएंगे।**

**4. अपवादस्वरूप मामलों में पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा**

मिशन/पोस्ट प्रमुख सर्वाधिक पात्र मामलों में, जैसा कि ऊपर पैरा 1.2 में वर्णित किया गया है, साधन-परीक्षित आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए आईसीडब्ल्यूएफ से संवितरण करने के लिए अधिकारप्राप्त है, जैसा ऊपर पैरा 3.5 में दर्शाया गया है। तथापि, यदि एचओएम/पोस्ट सर्वाधिक पात्र ऐसे मामलों में, जिन्हें ऊपर पैरा 1.2 में दर्शाया नहीं गया है अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए निधि का उपयोग करना आवश्यक समझते हैं, तो प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

**5. अनुसूची में संशोधन**

भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) के कार्यकरण को प्रशासित करने के लिए संशोधन संबंधित मिशनों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के उपरांत विदेश मंत्रालय और व्यय विभाग के साथ परामर्श करते हुए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए जाएंगे।

**6. प्राप्त अनुमोदन**

आईसीडब्ल्यूएफ स्कीम को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एकीकृत वित्त प्रभाग और प्रधान लेखा नियंत्रक (एमओआईए एवं एमईए) के मध्य व्यापक अंतर्मंत्रालयी परामर्शों के उपरांत अंतिम रूप प्रदान किया गया था। मिशनों के प्रमुखों से भी परामर्श किया गया था तथा विदेश मंत्रालय (सीपीवी प्रभाग) और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति भी प्राप्त की गई थी। इस स्कीम को मंत्रिमंडल द्वारा 20 अगस्त, 2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा आईसीडब्ल्यूएफ की स्थापना का संस्वीकृति पत्र दिनांक 12.10.2009 के पत्र संख्या आईओ-1012/25/2007-यूएस (ईपी-I) द्वारा जारी किया गया था। इस निधि को माननीय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से तथा विदेश मंत्रालय (सीपीवी प्रभाग) और आईएफडी की सहमति से मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मूल स्कीम के अनुसार दिनांक 30.4.2010 के पत्र संख्या आईओ-1012/25/2007-यूएस (ईपी-I) द्वारा 24 और मिशनों तक विस्तारित कर दिया गया था। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उनके आईडी नोट सं. 3(43)ई-कोर्ड/2007 दिनांक 01.03.2011 द्वारा संप्रेषित किए गए अनुमोदन से इस निधि का आगे विस्तार शेष 157 देशों तक भी कर दिया गया था। आशोधित स्कीम आईएफडी की डायरी सं. 4476/निदे(एफ)/12 दिनांक 04.08.2012 द्वारा दी गई सहमति द्वारा जारी की गई थी।

***इस स्कीम को माननीय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री के अनुमोदन तथा विदेश मंत्रालय (सीपीबी प्रभाग) और आईएफडी की सहमति और साथ ही व्यय विभाग के अनुमोदन से मंत्रिमंडल द्वारा मूल स्कीम*** के रूप में पत्र संख्या आईओ-1012/25/2007-यूएस (I) दिनांक 24.03.2011 द्वारा सभी भारतीय मिशनों तक विस्तारित किया गया था। चूंकि सभी भारतीय मिशन स्कीम के अंतर्गत शामिल हैं, स्कीम समस्त देशों तक विस्तारित कर दी गई है भले ही उनका नाम संलग्न अनुबंध में शामिल न भी हो बशर्ते कि विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को सूचित करते

हुए इसका अनुमोदन किया गया हो। यह स्कीम निम्नलिखित के अध्यधीन समस्त शेष मिशनों में क्रियान्वित की जाएगी:

(i) स्कीम का वित्त-पोषण प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के बजटीय अनुदान के भीतर किया जाएगा।

(ii) स्कीम के लिए स्थापित कोरपस 3 वर्ष के भीतर स्व-वित्तपोषित हो जाना चाहिए।

********